22, 1122/0.10 कुल किता 6 रकबा 0.70 हैक्टयर के बाबत अप्रार्थीगण हजारी पुत्र रामसहाय हरीओम अमरसिंह पि. चिरंजी जाति मीना निवासी हुडला तहसील महवा को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया है।

इसी प्रकार हजारी लाल द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करते हुये अप्रार्थीगण को पाबंद करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने वकील उभय पक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात सहखातेदारी की आराजी है। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष को राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखने हेतु पाबंद करना उचित समझते है। वकील उभय पक्ष भी सहमत है।

अतः उभय पक्ष को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम हुडला तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 1117/0.07, 1118/0.15, 1119/0.11, 1120/0.05, 1121/0.22, 1122/0.10 कुल किता 6 रकबा 0.70 हैक्टयर के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)